

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-55/2021

1. प्रबीत कुमार पुत्र पोकरमल उम्र 22 वर्ष जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 14 रामनगर पोस्ट बड़ाऊ तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज.)
  2. बुगली देवी पुत्री पोकरमल पत्नि जयचन्द उम्र 37 वर्ष जाति गुर्जर हाल निवासी वार्ड नं. 06, ढाणी लोढा की तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनू (राज.)
- ..... प्रार्थीगण

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 20-07-2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का बड़ाऊ स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 28 व 78 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रदीप सिंह पुत्र पोकर के स्थान पर प्रबीत कुमार पुत्र पोकरमल व प्रार्थीया संख्या 2 का नाम बुली पुत्री पोकर के स्थान पर बुगली देवी पुत्री पोकरमल दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076-79 खाता सं. 28 व 78 ग्राम रामनगर पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बड़ाऊ स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 28 व 78 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रदीप सिंह पुत्र पोकर के स्थान पर प्रबीत कुमार पुत्र पोकरमल व प्रार्थीया संख्या 2 का नाम बुली पुत्री पोकर के स्थान पर बुगली देवी पुत्री पोकरमल दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश


अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बड़ाऊ स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 28 व 78 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रदीप सिंह पुत्र पोकर के स्थान पर प्रबीत कुमार पुत्र पोकरमल व प्रार्थीया



h'v  
उपखण्ड अधिकारी  
खेतड़ी (झुझुनू)

संख्या 2 का नाम बुली पुत्री पोकर के स्थान पर बुगली देवी पुत्री पोकरमल दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-07-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( राजपाल यादव )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी